न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –29/ 2014 एवं अपील संख्या 4/2015 जिला अलवर।

1. मेवा देवी पत्नी औम प्रकाश , जाति चमार
2. औम प्रकाश पुत्र बुधराम, जाति चमार, निवासीयान ग्राम आलनपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमला देवी पुत्री सम्पत्त पत्नि मातादीन जाति चमार निवासी ग्राम तलवाड तहसील बहरोड, जिला अलवर (राज.)

असल रेस्पोंडेन्ट

2. ग्राम पंचायत नांगल लाखा जरिये सरपंच तहसील बानसूर जिला अलवर (राज.)
3. रामेश्वर पुत्र सम्पत जाति चमार
4. पन्ना लाल पुत्र सम्पत जाति चमार
5. घनश्याम पुत्र सूरजभान पौत्र सम्पत जाति चमार
6. रवि कुमार पुत्र सूरजभान पौत्र सम्पत जाति चमार, निवासीयान ग्राम मोरोडी, तहसील बानसूर , जिला अलवर (राज.)

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 2.12.2014

अपील संख्या – 4/2015 जिला अलवर।

1. मेवा देवी पत्नी औम प्रकाश , जाति चमार
2. औम प्रकाश पुत्र बुधराम, जाति चमार, निवासीयान ग्राम आलनपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. कमला देवी पुत्री सम्पत्त पत्नि मातादीन जाति चमार निवासी ग्राम तलवाड तहसील बहरोड, जिला अलवर (राज.)

असल रेस्पोंडेन्ट

2. ग्राम पंचायत नांगल लाखा जरिये सरपंच तहसील बानसूर जिला अलवर (राज.)
3. रामेश्वर पुत्र सम्पत जाति चमार
4. पन्ना लाल पुत्र सम्पत जाति चमार
5. घनश्याम पुत्र सूरजभान पौत्र सम्पत जाति चमार
6. रवि कुमार पुत्र सूरजभान पौत्र सम्पत जाति चमार, निवासीयान ग्राम मोरोडी, तहसील बानसूर , जिला अलवर (राज.)

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बानसूर , जिला अलवर दिनांक 9.1.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गजेन्द्र सिंह राठौड

2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं ।

निर्णय

दिनांक–10.01.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बानसूर , जिला के निर्णय दिनांक 2.12.2014 एवं तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 9.1.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मोरोडी , तहसील बानसूर, जिला अलवर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 612 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 753 रकबा 1.0500 हैक्टेयर व 754 रकबा 0. 15 हैक्टेयर, 755 रकबा 0.30 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 613 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 756 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 757 रकबा 1.41 हैक्टेयर व साबिक खसरा नम्बर 714 रकबा 36 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 758 रकबा 9.16 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोंडेन्ट 1 कमला के पिता सम्पत पुत्र सेवा कौम चमार थे । खातेदार सम्पत के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 402 पटवारी हल्का द्वारा रामेश्वर , सूरजभान, पन्ना लाल पि. सम्पत के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत नांगल लाखा द्वारा दिनाक 15.8.1999 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 15.8.1999 के खिलाफ मृतक खातेदार सम्पत की पुत्री रेस्पोंडेन्ट कमला द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के समक्ष दिनांक 4.7.2014 को मियाद बाहर प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.12.2014 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत नांगल लाखा का फैसला मनसुख किया गया एवं मृतक सम्पत के वारिसान की जॉच कर मुताबिक सजरा वारिसान के हक में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया कि ''वादियों ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अन्तर्गत आराजी में हिस्सा चाहा है । उक्त वाद अपील वादिया द्वारा देरी से पेश किया है जिसके साथ दफा 5 अशिनियम पेश किया जिसमें अपीलान्ट की पैतृक आराजी गाम मोरोडी में स्थित है जबकि अपीलान्ट ससुराल में रहती है जिसकी जानकारी देरी से हुयी है । अतः इंतकाल विरासत मृतक सम्पत के कुल वारिसान के हक में दर्ज किया जाना न्यायोचित है ''।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उप खण्ड अधिकारी बानसूर के उक्त निर्णय दिनांक 2.12.2014 की अनुपालना में तहसीलदार बानसूर द्वारा निर्णय दिनांक 9.1.2015 पारित कर सम्पतराम पुत्र सेवाराम कौम चमार निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी का रामेश्वर पुत्र सम्पतराम हिस्सा 1/4, पन्ना लाल पुत्र सम्पतराम हिस्सा 1/4 , गेंदी पत्नी सुरजभान, घनश्याम, रवि पुत्रान सुरजभान, मंजू पुत्री सुरजभान हिस्सा 1/4 , कमला पुत्री सम्पतराम हिस्सा 1/4 जाति चमारान निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 9.1.2015 की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 15.8.1999 तहसीलदार बानसूर द्वारा रामेश्वर, पन्ना लाल पि. सम्पतराम , कमला पुत्री सम्पतराम

एवं सम्पतराम के पुत्र सूरजभान के फौत होने के कारण गैंदी पत्नि सूरजभान, घनश्याम , रवि पि. सूरजभान, मंजू पुत्री सूरजभान के नाम स्वीकार किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय दिनांक 2.12.2014 एवं तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 9.1.2015 के खिलाफ अपीलान्ट्स मेवा देवी व औम प्रकाश वगैहरा द्वारा यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की है जो अपील संख्या 29/2014 एवं अपील संख्या 4/2015 पर दर्ज की गई है । दोनों अपीलों में अपीलान्ट्स द्वारा अपीलें स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी बानसूर का निर्णय दिनांक 2.12.2014 एवं तहसीलदार बानसूर का निर्णय दिनांक 9.1.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान दोनों अपीलों के अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार मृतक सम्पतराम द्वारा वर्ष 2000 में विवादित भूमि का विक्रय कर दिया था जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को थी तथा उसे कोई ऐतराज नहीं था । इसके उपरान्त विवादित आराजी का पुनः विक्रय सरबती पत्नी भरथ सिंह, सुरेन्द्र, सतीश पुत्रान भरथ सिंह जाति चमार निवासी भदरघेडा तहसील गुडगांव, हरियाणा को कर दिया गया । इसके उपरान्त दिनांक 29.1.2007 को विवादित आराजी अपीलान्ट्स ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय करली और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट्स के नाम नामांतरकरण भी तस्दीक होकर राजस्व अभिलेख में नाम अभिलिखित हो गये । इसके बाद अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि का शेष 1/2 हिस्सा भी अन्य खातेदार भगवती, सरती पुत्रियान सन्जा से खरीद लिया था जिसका नामांतरकरण संख्या 102, 103 अपीलान्ट्स के हक में दिनांक 12.11.2009 को स्वीकृत हो चुका है । अपीलान्ट संख्या 2 औम प्रकाश ने विवादित भूमि में से अपना 5/21 हिस्सा डालूराम पुत्र भोरा राम को विक्रय कर दिया । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के बोनाफाईड खरीददार है तथा खरीद के पश्चात् दिनांक 29.1.2007 से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 6 आपस में साज बाज होकर असल तथ्यों को छिपाते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जमीनों की कीमत बढ जाने के कारण 15 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये अपीलें प्रस्तुत कर अपने पक्ष में निर्णय करा लिया, जो त्रुटिपूर्ण , विधिविरूद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार थे जिन्हें बिना नोटिस दिये व सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पोंडेन्ट की अपील 15 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था फिर भी अपीलाधीन आदेश से विलम्ब को क्षमा कर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश से प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित किया था, लेकिन तहसीलदार ने भी विवादित भूमि पर बिना कब्जे काश्त की जॅाच किये व अपीलान्ट्स का सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.1.2015 पारित कर दिया तथा उसके आधार पर नामांतरकरण भी तस्दीक कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर दिनां 2.2.2014 एवं तहसीलदार बानसूर

कि॰ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अलवर

के आदेश दिनांक 9.1.2015 निरस्त किये जावे तथा प्रकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु तहसीलदार बानसूर को रिमाण्ड किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट्स विवादित भूमि के विधिवत क्रेता होने से प्रभावित पक्षकार है । अतः धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है । प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार सम्पत की विरासत का नामांतरकरण संख्या संख्या 402 रामेश्वर , सूरजभान, पन्ना लाल पि. सम्पत के नाम ग्रम पंचायत नांगल लाखा द्वारा दिनाक 15.8.1999 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 15.8.1999 के खिलाफ मृतक खातेदार सम्पत की पुत्री रेस्पोंडेन्ट कमला की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.12. 2014 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत नांगल लाखा का फैसला मनसुख किया गया एवं मृतक सम्पत के वारिसान की जॅाच कर मुताबिक सजरा वारिसान के हक में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया कि ''वादियों ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अन्तर्गत आराजी में हिस्सा चाहा है । उक्त वाद अपील वादिया द्वारा देरी से पेश किया है जिसके साथ दफा 5 अशिनियम पेश किया जिसमें अपीलान्ट की पैतृक आराजी गाम मोरोडी में स्थित है जबकि अपीलान्ट ससुराल में रहती है जिसकी जानकारी देरी से हुयी है । अतः इंतकाल विरासत मृतक सम्पत के कुल वारिसान के हक में दर्ज किया जाना न्यायोचित है ''।

उप खण्ड अधिकारी बानसूर के उक्त निर्णय दिनांक 2.12.2014 की अनुपालना में तहसीलदार बानसूर द्वारा निर्णय दिनांक 9.1.2015 पारित कर सम्पतराम पुत्र सेवाराम कौम चमार निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी का रामेश्वर पुत्र सम्पतराम हिस्सा 1/4, पन्ना लाल पुत्र सम्पतराम हिस्सा 1/4 , गेंदी पत्नी सुरजभान, घनश्याम, रवि पुत्रान सुरजभान, मंजू पुत्री सुरजभान हिस्सा 1/4 , कमला पुत्री सम्पतराम हिस्सा 1/4 जाति चमारान निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनाक 9.1.2015 की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 15.8.1999 तहसीलदार बानसूर द्वारा रामेश्वर, पन्ना लाल पि. सम्पतराम , कमला पुत्री सम्पतराम एवं सम्पतराम के पुत्र सूरजभान के फौत होने के कारण गैंदी पत्नि सूरजभान, घनश्याम , रवि पि. सूरजभान, मंजू पुत्री सूरजभान के नाम स्वीकार किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स विवादित भूमि के विधिवत क्रेता होने से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है जिन्हें रेस्पोंडेन्ट कमला पुत्री सम्पत्त राम ने उप खण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष अपील में पक्षकार नहीं बनाया ओर न ही उप खण्ड अधिकारी ने व तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य मे आवश्यक व न्यायोचित था । हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश हितबद्ध व प्रभावित पक्षकारों को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किये हैं, जिन्हें न्याय की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । प्रकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर , जिला अलवर दिनांक 2.12.2014 एवं

तहसीलदार बानसूर दिनांक 9.1.2015 निरस्त किये जाकर प्रकरण उप खण्ड अधिकारी बानसूर , जिला अलवर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर